हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/04/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण, विपक्षीगण सं. 16 ता 19 एवं 22 ता 25 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण सं. 1 ता 15, 20 ता 21, 26 ता 27 को कोई तामील में तीन बार तीन-तीन नोटिस जारी किये बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण सं. 1 ता 15, 20, 21, 26, 27 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील विपक्षीगण सं. 16 ता 19 एवं 22 ता 25 द्वारा जवाब पेश किया, जवाब की प्रति वकील वादीगण ने प्राप्त की। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश नकल से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालना में तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 229 / 2022

प्रार्थीगण :–
1. घमण्डाराम पुत्र दमाराम
2. टीकमाराम पुत्र दमाराम
3. बालाराम पुत्र दमाराम
4. मीरोदेवी पत्नी दमाराम
5. राउराम पुत्र दमाराम
6. हेमाराम पुत्र दमाराम
   जाति जाट निवासी मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. साकर पुत्र आदम
2. होती पुत्र आदम
3. मतु पुत्र भेरा
4. पिनल पुत्र जानू
5. हयात पुत्र नूरा
6. मंजूर खां पुत्र फताखां
   जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
7. सोनाराम पुत्र देवाराम
8. गुलाराम पुत्र ताजाराम
9. गोरधनराम पुत्र ताजाराम
10. चनणी पत्नी ताजाराम
11. चिमनाराम पुत्र ताजाराम
12. जैताराम पुत्र ताजाराम
13. चूनी पुत्री हरजीराम
14. दोलाराम पुत्र हरजीराम
15. हुकमाराम पुत्र हरजीराम
16. खीयाराम पुत्र कुंभाराम
17. चूनाराम पुत्र भोमाराम
18. चूनीदेवी पत्नी कुंभाराम
19. पेमाराम पुत्र कुंभाराम
20. भगाराम पुत्र लाभूराम
21. वगताराम पुत्र लाभूराम जाति जाट निवासी मालपुरा
22. अचलाराम पुत्र गोमाराम
23. अमरूदेवी पत्नीगोमाराम
24. अर्जुनराम पुत्र गामाराम
25. तिलोकाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी नौखडा तहसील नौखडा
26. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुड़ामालानी
27. तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भाखराराम गोदारा अधिवक्ता 16ता19, 22ता25

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण संख्या 16 ता 19 एवं 22 ता 25 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के आवेदन का लिखित जबाव प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 354, 431, 433, 465 के पूर्व दिशा की तरफ विप्रार्थीगण संख्या 16 से 19 का खेत एवं दक्षिण दिशा की तरफ विप्रार्थीगण संख्या 22 से 25 की खातेदारी का खेत आया हुआ है जिनकी पक्के नेखम कायम कराये जा चुके हैं विप्रार्थीगण के पक्के नेखम कार्यवाही के आधार पर प्रार्थीगण की विवादित आराजी के उक्त खसरान की नेखमबन्दी किये जाने पर विप्रार्थीगण को एतराज आपत्ति नहीं है। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 13.0713 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 431, 433/2, 433/4, 465/2 रकबा कमशः 0.0243, 4.6134, 1.6916, 4.5163 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 13.0713 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 431, 433/2, 433/4, 465/2 रकबा कमशः 0.0243, 4.6134, 1.6916, 4.5163 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 12/5/23

वाद / 2023 / 315

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

हाण्डाराम चौरा सागर चौरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 229/22 निर्णय दिनांक :– 10.04.23

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मालपुरा के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 13.0713 खसरा नम्बर 431 रकबा 0.0243 खसरा नम्बर 433/2 रकबा 4.6134 खसरा नम्बर 433/4 रकबा 1.6916 एवं खसरा नम्बर 465/3 रकबा 4.5163 की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 12/5/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 315- 316
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार चौहटन
2. थानाधिकारी R.G.T. रागेश्वरी नर्मदा
3. हल्का पटवारी मालपुरा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी हाण्डाराम चौरा
5. विप्रार्थी सागर चौरा

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी